19/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीउप. । प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी पत्रावली वास्ते अवलोकन आदेश हेतु दि 5/12/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

5/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीउप. । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर आदेश पृथक से तैयार कर हा. मि. किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 164 / 2022

1. रामा पुत्र रायचन्द जाति गुर्जर निवासी खण्डांच तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

प्रार्थी

विरूद्व

1. छोटू पुत्र रामचन्द जाति गुर्जर निवासी खण्डांच तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
2. रामजीवण पुत्र श्री हरलाल जाति गुर्जर निवासी खण्डाच तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
3. तेजू पुत्र श्री गिरधारी जाति गुर्जर निवासी खण्डाच तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
4. गणेश पुत्र श्री रामजीवण जाति गुर्जर निवासी खण्डाच तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
5. दयाल पुत्र श्री भूरा जाति गुर्जर निवासी खण्डाच तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
6. मन्जू पत्नि श्री रामजीवण जाति गुर्जर निवासी खण्डाच तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
7. लाली पत्नि श्री गिरधारी जाति गुर्जर निवासी खण्डाच तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 4/12/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता डी.सी. सेठी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खण्डाच स्थित खसरा नम्बर 867/751 रकबा 1.2944 हैक्टेयर स्थित हैं जिसका वादी/प्रार्थी खातेदार कब्जेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण दादा, रोबदार किस्म के व्यक्ति है तथा गरीब व्यक्तियो/किसानो की भूमि में दादागिरी से पत्थर डाल देते है तथा फसलो को नुकसान पहुंचाकर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेते है। मिट्टी खोदकर बैच देते है। अप्रार्थीगण प्रतिदिन प्रार्थी के काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते है तथा पत्थर डालने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की फसलो को नुकसान पहुचाते है तथा कब्जा करने का प्रयास करते रहते है। दिनांक 12.08.2022 को प्रार्थी सुबह 10:00 बजे अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य व काश्त कर रहे थे तभी अप्रार्थीगण आये तथा प्रार्थी के कृषि भूमि पर काश्त में व्यवधान उत्पन्न किया तथा प्रार्थी की फसल को नुकसान पहुचाने के लिये मिट्टी खोदने लगे जिस पर प्रार्थी ने रोका तो अप्रार्थीगण ने लडाई झगडे पर उतारू हो गए और एलानिया धमकी दी की हम तुम्हारी कृषि भूमि में मिट्टी खोदेगे तथा मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के मध्य गम्भीर वाद विवाद हुआ और अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि आइन्दा मौका पाकर तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेगे, अतिक्रमण कर लेगे तथा मिट्टी खोदकर बैचान कर देगे। अतः वाद कारण हुआ जो निरन्तर जारी है तथा अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी प्रार्थना है कि ग्राम खण्डाच स्थित खसरा नम्बर 867/751 रकबा 1.2944 हैक्टेयर में प्रार्थी व परिवार के सदस्य के अप्रार्थीगण कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नही करे मिट्टी नही खोदे, पत्थर नही डाले तथा प्रार्थी की फसल को नुकसान नही पहुचाने तथा कब्जा करने का प्रयास नही करे। इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण देने की कृपा करावें एवं अन्य अनुतोष जो अदालत उचित समझे प्रार्थी को दिलाने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 14.09.2022 को दर्ज रजिस्टर में क्रमांक 164/2022 पर दर्ज कर अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 20.10.2022 को वकील श्री रामदेव गुर्जर अप्रार्थी संख्या 01 से 09 की ओर से उपस्थित हुये तथा जवाब प्रा. पत्र पेश किया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया गया है वादवर्णित आराजीयात पर कब्जा–काश्त नही रहा है उपरोक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण /जवाबकर्तागण का अपने पूर्वाधिकारियो के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश करना चाहिए था। प्रार्थी को उपरोक्त आराजीयात आवंटन से प्राप्त हुई जो लेकिन उपरोक्त आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

नही रहा है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य प्रकटीकरण करके वाद पेश किया गया है। प्रार्थी व इसके परिवारजन भू–माफियां किस्म के व्यक्ति है जो सरकारी भूमियो पर कब्जा करके सरकारी भूमियो को खुर्द–बुर्द करते है जिस बाबत् माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार राजस्व मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जिला कलक्टर महोदय, उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढ, तहसीलदार महोदय किशनगढ के समक्ष दिनांक 20.10.2022 को ग्राम खण्डांच के वर्तमान खसरा नम्बर 765, 805 / 669, 758, 757, 749, 748, 630, 589 जो सरकारी भूमियो पर अवैध अतिचार अतिक्रमण कर उक्त भूमियो को खुर्द–बुर्द करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना के अन्त में जो प्रार्थी द्वारा प्रार्थना चाही गई है व स्वीकार किये जाने योग्य नही है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे खारीज फरमाये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें। हमारे द्वारा दिनांक 19.11.2024 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रा. पत्र के तथ्यो को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर काबिज काश्त है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा वर्तमान में काबिज काश्त है। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के कार्यों में व्यवधान किया गया तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होना कारित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगणों को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगणों की भूमि ग्राम खण्डाच स्थित खसरा संख्या 867 / 751 रकबा 1.2944 हैक्टेयर के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा मौके की यथास्थिती बनाये रखें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ....5/12/24..... को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)